उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-14
संख्या-42/2022/123/23-14-2022-18आ0बु0वि0नि0/2021टी0सी0
लखनऊ: दिनांक- 11 अप्रैल, 2022

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-164/2021/438/23-14-2021-18आ0बु0वि0नि0/2021टी0सी0, दिनांक 25.03.2021 द्वारा जनपद-चित्रकूट की कुल 03 परियोजनाओं हेतु रू0 516.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि रू0 25.83 लाख अवमुक्त की गयी थी। उक्त 03 परियोजनाओं में क्रमांक-3 पर अंकित परियोजना **"कर्वी बूढा राजापुर मार्ग से ग्राम कसहाई से विजया नर्सिंग होम के पास बिन्दा प्रेमी के पुरवा से होते हुए नहर पटरी तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य के सम्बन्ध में रू0 72.17 लाख"** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 3.60 लाख अवमुक्त की गयी थी।

2- आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा अपने पत्र संख्या-545/सं0वि0आ0/बु0वि0नि0(राज्यांश)/2021, दिनांक 08.03.2022 द्वारा परियोजना पर अवमुक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए उक्त परियोजना की स्वीकृति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-164/2021/438/23-14-2021-18आ0बु0वि0नि0/2021टी0सी0, दिनांक 25.03.2021 में क्रमांक-3 पर अंकित परियोजना **"कर्वी बूढा राजापुर मार्ग से ग्राम कसहाई से विजया नर्सिंग होम के पास बिन्दा प्रेमी के पुरवा से होते हुए नहर पटरी तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य"** की स्वीकृति को निरस्त किया जाता है।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25.03.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 25.03.2021 की शेष शर्ते एवं अन्य विवरण यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-42/2022/123(1)/23-14-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूटधाम क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बांदा।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in